न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 64 / 2020
लखमी पुत्र नवल,निवासी ग्राम कपूरा मलूका,तहसील बयाना जिला भरतपुर ।

बनाम

तहसीलदार ,बयाना (अन्तरित द्वारा अति0जिला कलक्टर(सामान्य) कलक्ट्रेट,भरतपुर ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 06.10.2020.

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि लखमी पुत्र नवल,निवासी ग्राम कपूरा मलूका,तहसील बयाना जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 10.07.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर (प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर) से सूचना चाही गयी थी। अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर (प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर) द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 481 दिनांक 09.09.2020 से अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर (प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर) से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर (प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर) से जबाब प्राप्तं हुआ, जो संलग्न पत्रावली है ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर (प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर)ने उपलब्ध नहीं कराई हैं। अपीलान्ट द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर (प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर) से वांछित सूचनाऐं दिलायी जाने की प्रार्थना की है। इस सम्बन्ध में अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर (प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर)ने अपने जबाव में अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना तहसीलदार बयाना से संबंधित होने के कारण प्रार्थी का आवेदन कार्यालय पत्रांक 4206 दिनांक 24.07.2020 के द्वारा तहसीलदार बयाना को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु अंतरित कर दिया गया है, जिसकी प्रति अपीलान्ट को भी दी गई है। तत्पश्चात उक्त अपील के सम्बन्ध में तहसीलदार बयाना से जबाव प्राप्त हुआ । तहसीलदार बयाना ने अपने जबाब पत्र कमांक / 561 दिनांक 21.09.2020 से अवगत कराया है कि प्रार्थी को उनके कार्यालय के पत्रांक 453–454 दिनांक 20.08.2020 से वांछित सूचना उपलब्ध करा दी गई है । तहसीलदार बयाना ने अपने जबाव की पुष्टि में उक्त पत्र की प्रति भी भेजी गई है । तहसीलदार बयाना से प्राप्त उक्त पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को समस्त सूचनाऐं उपलब्ध करा दी गई हैं।

............2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (तहसीलदार बयाना से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार बयाना को भी भेजी जावे।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर